न्यायिक प्रकरण/तत्काल
स्मरण पत्र–प्रथम

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–राजहैल्थ/टी.सी./17372/2025/152 दिनांकः– 17.04.2025

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण एवं फलौदी।

विषयः– एसबीसिविल रिट पिटिशन संख्या 15213/2024 गुलाब सिंह गहलोत एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2024 की पालना करने बाबत।

संदर्भः– निदेशलाय के पत्र कमांक 103 दिनांक 17.03.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा एसबीसिविल रिट पिटिशन संख्या 15213/2024 गुलाब सिंह गहलोत एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2024 एवं 17.03.2025 की पालना में कार्यवाही आपके स्तर से 03 दिवस में करवाते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था जो की आज दिनांक तक अपेक्षित है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की पालना रिपोर्ट आगामी सुनवाई दिनांक 12.05.2025 तक प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त संबंधित कार्मिकों के मानदेय/वेतन भुगतान किए जाने के संबंध में पालना रिपोर्ट निदेशालय को दिनांक 23.04.2025 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि पालना रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। पालना नहीं करने कि स्थिति में पडने वाले विपरीत प्रभाव के लिए आप स्वयं उतरदायी होंगे।

निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांकः–राजहैल्थ/टी.सी./17372/2025//52 दिनांकः– 17.04.2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सहायक अधिवक्ता, श्रीमान महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2/3) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वा0), मुख्यालय।
6. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
7. श्रीमान नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
8. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
10. डॉ बी.एम स्वर्णकार, स्टेंडिंग केस प्रभारी अधिकारी, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
11. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी एवं केस प्रभारी अधिकारी, जोधपुर शहर।
12. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधित को ई–मेल करें।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2025.04.17 14:02:08 IST
Reason: Approved

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर 302005
Email: dmhs.tcng@gmail.com contact no. 0141-2222683

RajKaj Ref No.: 14781502